झारखण्ड सरकार
श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

अधिसूचना

एस०ओ०.................................

राँची, दिनांक........................

असंगठित श्रमिकों के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं पर सम्यक् विचारोपरान्त झारखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के निर्माण श्रमिकों के तर्ज पर पूर्व से असंगठित श्रमिकों के लिए संचालित योजनाओं में आवश्यक संशोधन एवं इसके अतिरिक्त BOCW (झारखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड) के कतिपय योजनाओं के सदृश्य असंगठित कर्मकारों के कल्याणार्थ योजनाएँ निम्नानुसार संशोधित करते है:–

क्र० सं०	योजना का नाम	पूर्व से संचालित योजना में लाभ का प्रावधान	वर्त्तमान में पूर्व से संचालित योजना में संशोधन
(i)	झारखण्ड असंगठित कर्मकार मृत्यु/दुर्घटना सहायता योजना	असंगठित कर्मकार की मृत्यु होने पर उनके आश्रित को रूपये 50,000/– सामान्य मृत्यु में तथा रूपये 1,00,000/– दुर्घटना में मृत्यु होने की स्थिति में दिए जाने का प्रावधान है।	यथावत्
(ii)	मातृत्व प्रसुविधा योजना	महिला कर्मकार को प्रथम दो प्रसूतियों के लिए प्रति प्रसूति एकमुश्त रूपये 15,000/– राशि का भुगतान किया जाता है।	यथावत्:– पूर्व से संचालित चिकित्सा सहायता योजना का नाम बदल कर "मातृत्व प्रसुविधा योजना" किया जाता है।
(iii)	अंत्येष्टि सहायता योजना	सामान्य मृत्यु (60 वर्ष की आयु तक) में रूपये 15,000/– एवं कार्य के दौरान दुर्घटना एवं व्यवसायजन्य रोग (Occupational diseases) से मृत्यु होने पर 25,000/– देने का प्रावधान है।	यथावत्
(iv)	कौशल उन्नयन योजना	निबंधित असंगठित कर्मकार स्वयं या उनके दो पुत्र/पुत्री उनकी इच्छा एवं योग्यता के अनुसार उने कौशल उन्नयन हेतु चयनित सदस्यों की सूची झारखण्ड कौशल विकास मिशन को उपलब्ध करायी जाएगी	यथावत्

पूर्व से संचालित योजनाओं के अलावा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं के तर्ज पर असंगठित श्रमिकों के लिए निम्न योजनाओं का गठन किया जाता है :-

	योजना का नाम	योजना के अन्तर्गत देय लाभ एवं शर्त्ते
(i)	उपचार आजीविका सहायता योजना	➢ पूर्व से प्रस्तावित चिकित्सा सहायता योजना के स्थान पर "उपचार आजीविका सहायता योजना" निम्नवत संचालित किया जाएगा। ➢ पाँच या उससे अधिक कार्यदिवसों तक अस्पताल में भर्त्ती रहने पर इस योजना का लाभ देय होगा। ➢ योजनान्तर्गत अकुशल श्रेणी के श्रमिकों हेतु झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाएगा और ➢ अधिकतम 40 कार्य दिवसों के समतुल्य राशि का भुगतान (DBT) द्वारा किया जाएगा।
(ii)	मुख्यमंत्री असंगठित श्रमिक औजार सहायता योजना	➢ सेफ्टी किट, टूल किट के लिए एकमुश्त प्रति लाभुक 5000/- (पाँच हजार) की आर्थिक सहायता Direct Cash Transfer (DBT) के माध्यम से प्रत्येक तीन साल के अन्तराल पर दिया जाएगा।
(iii)	साईकिल सहायता योजना	➢ निबंधित वैसे महिला लाभुक जिनकी उम्र 18 से 45 वर्ष की आयु समूह की हो बशर्त्ते उन्होने "सिलाई मशीन सहायता योजना" का लाभ नहीं लिया हो तथा वैसे पुरुष लाभुक बशर्त्ते कि उन्होने किसी अन्य योजना से साईकिल प्राप्त नहीं किया हो को उचित गुणवता की साईकिल क्रय करने हेतु योजनान्तर्गत सहायता राशि रु0 7000/- (सात हजार मात्र) DBT द्वारा दी जायगी।
(iv)	सिलाई मशीन सहायता योजना	➢ इस योजना के अन्तर्गत निबंधित लाभुक श्रमिकों को जिनकी उम्र 35 वर्ष से 60 वर्ष है, सिलाई मशीन हेतु उचित प्रशिक्षण झारखण्ड कौशल विकास मिशन सोसाईटी द्वारा दिया जायेगा तथा सफल प्रशिक्षण प्राप्त होने पर उन्हें ब्रांडेड कम्पनियों की उचित गुणवक्ता की सिलाई मशीन हेतु रूपये 6000/-(छः हजार) DBT द्वारा दी जायेगी।
(v)	विवाह सहायता योजना	➢ निबंधित लाभुक के दो सन्तान की शादी के लिए तथा महिला सदस्य को अपनी विवाह हेतु 30,000/- (तीस हजार) की आर्थिक सहायता की राशि DBT द्वारा दी जायेगी।

(2) इस योजना पर होने वाला व्यय राज्य स्कीम के अन्तर्गत माँग सं०-26 के मुख्य शीर्ष-2230-श्रम तथा रोजगार, उपमुख्य शीर्ष-01-श्रम लघु शीर्ष-001-निदेशन और प्रशासन/796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना के उप शीर्ष-40-झारखण्ड असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा योजना में वित्तीय वर्ष 2023-24 में आर्थिक सहायता ईकाई में बजट में उपबंधित राशि से किया जाएगा।

ज्ञापांक:- 02/श्रमा0का0(असं०कर्म०सा०सु०यो०)-01/2014 श्र0नि0......2424.........राँची, दिनांक 08/12/2023

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(राजेश कुमार शर्मा)

V.T./U.R.K.Adhisuchna Asangathit Karmkar

सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः— 02/श्रमा0का0(असं०कर्म०सा०सु०यो०)—01/2014 श्र0नि0 ....2494........ राँची, दिनांक 08/12/2023

प्रतिलिपिः—प्रेस अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि वे इस गजट की 500 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

08/12/23

सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः— 02/श्रमा0का0(असं०कर्म०सा०सु०यो०)—01/2014 श्र0नि0 ....2494........ राँची, दिनांक 08/12/2023

प्रतिलिपिः—नोडल पदाधिकारी, ई—गजट, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग/मिशन निदेशक, झारखण्ड कौशल विकास विभाग, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/सभी उप श्रमायुक्त, कृषि श्रमिक सहित/सभी सहायक श्रमायुक्त, कृषि श्रमिक सहित/सभी श्रम अधीक्षक, कृषि श्रमिक सहित/मुख्य कारखाना निरीक्षक, झारखण्ड, राँची/सभी उपमुख्य कारखाना निरीक्षक, झारखण्ड/सभी कारखाना निरीक्षक, झारखण्ड, को सूचनार्थ एवं तत्परतापूर्वक योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रेषित।

08/12/23

सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः— 02/श्रमा0का0(असं०कर्म०सा०सु०यो०)—01/2014 श्र0नि0 ....2494........ राँची, दिनांक 08/12/2023

प्रतिलिपिः—सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

08/12/23

सरकार के सचिव।

ज्ञापांकः— 02/श्रमा0का0(असं०कर्म०सा०सु०यो०)—01/2014 श्र0नि0 ....2494........ राँची, दिनांक 08/12/2023

प्रतिलिपिः—मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची/विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

08/12/23

सरकार के सचिव।